

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,  
ग्रीष्मि विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2006

विषय :- सोबतीज पब्लिक स्कूल ग्रीनपार्क बरेली को सीओडीएस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सीओडीएस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के नेतृत्वी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कॉसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सटीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (८) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवा निमृति तक सभी उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (९) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे सभी उनका पालन करेंगी ।
- (१०) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (११) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णतुमोधन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और नहीं किया जा सकता। यह पारा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है तब उक्त प्रतिबंधों का पालन करने में किसी प्रकार की चुकंडी या शिथिलता बरेती जाती है तो राज्य सरकार प्रदत्त अनाधित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मर्दीन,

(अजीत प्रकाश)  
उप सचिव।

पुम्लो- सौपम 4254(1)/15-7-2005 लघुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मूलनार्थ पवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रहित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश संघनक
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
- 4- निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, सोबतीज पञ्चक स्कूल शीनपार्क बरेली।
- 6- गार्ह कुक।

आशा से,

(अजीत प्रकाश)  
उप सचिव।